

[2025] 1 एस.सी.आर. 1409 : 2025 आई.एन.एस.सी. 141

प्रवर्तन निदेशालय

बनाम

सुभाष शर्मा

(दाण्डिक अपील सं. 310/2025)

[अभय एस. ओका * एवं उज्ज्वल भुइयां, न्यायाधीशगण]

विचारार्थ विवाद्यक

क्या उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में कि प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी अवैध थी और इस प्रकार, उसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध के लिए जमानत देने में न्यायसंगत था?

शीर्ष टिप्पण

जमानत- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002- धारा 45, 65 - भारत का संविधान- अनुच्छेद 22(2), 21- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, धारा 47- गिरफ्तारी दूषित होती है यदि अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो- क्या तथ्यों पर उत्तरवादी की गिरफ्तारी अवैध थी :

अभिनिर्धारित: हां- प्रत्यर्थी को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था- अंतः गिरफ्तारी अवैध थी क्योंकि यह अनुच्छेद 22 (2) के तहत उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम थी-चूंकि अनुच्छेद 22 (2) का उल्लंघन किया गया था, यहां तक कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया गया था- इसके अलावा, अनुच्छेद 22 (2) की आवश्यकता को दं. प्र. सं. की धारा 57 में सम्मिलित किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम और दं.प्र.सं. की धारा 57 के मध्य कोई असंगति नहीं है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 65 तथा द.प्र.सं. की धारा 57 धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही पर

लागू होते हैं- एक बार जब यह पाया गया हो कि अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय अनुच्छेद 21 एवं 22 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो यह जमानत आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को जमानत पर रिहा करे क्योंकि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी दूषित होती है- यह प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 21 एवं 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को बनाए रखे- अंतः जब गिरफ्तारी अवैध या दूषित होती है, तो धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45(1)(ii) के तहत दोहरे परीक्षणों को पूरा न करने के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

[कण्डिका 6-9]

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

मुख्य शब्दों की सूची

भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (2), 21; जमानत; अवैध गिरफ्तारी; 24 घंटे के भीतर दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाना; अनुच्छेद 22 (2) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन; स्वतंत्रता का अधिकार; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 65; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 57; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45 की उप-धारा 1 के खंड (ii) के तहत दोहरे परीक्षण।

प्रकरण का उद्भव

दाण्डिक अपील की अधिकारिता: दाण्डिक अपील सं. 310/2025,

विविध दण्डिक प्रकरण सं. 5288/2022 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के 21.09.2022 दिनांकित निर्णय व आदेश से उद्धृत।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से : सूर्यप्रकाश वी. राजू, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, मेरुसागर सामंताराय, अर्काज कुमार, अशोक पाणिग्राही, बी. के. सतीजा, अन्नम वैकटेश, जोहेब हुसैन, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : शिवम् बत्रा, अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

अभय एस. ओका, न्यायाधीश।

1. अनुमति दी गई।
2. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
3. अपीलार्थी प्रवर्तन निदेशालय है। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (संक्षेप में, 'पी.एम.एल.ए.') की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में प्रत्यर्थी को जमानत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि प्रत्यर्थी की गिरफ्तारी अवैध थी, और उस आधार पर, उसे जमानत प्रदान की गई।
4. आक्षेपित निर्णय की कण्डिका 10 में, उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक निष्कर्ष अभिलिखित किए हैं जो इस प्रकार हैं:

“प्रकरण डायरी में उपलब्ध दस्तावेजों और उपरोक्त आदेश से यह स्पष्ट है कि आवेदक को नई दिल्ली के आई. जी. आई. हवाई अड्डे पर निरुद्ध किया गया और शाम 6 बजे अभिरक्षा में लिया गया जब आप्रवासन ब्यूरो ने आवेदक के विरुद्ध जारी एल. ओ. सी. (लुकआउट

सर्कुलर) को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से निष्पादित किया । यह भी विवादित नहीं है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आप्रवासन ब्यूरो से आवेदक को आई. जी. आई. हवाई अड्डे पर 05.03.2022 को सुबह 11 बजे शारीरिक रूप से अभिरक्षा में लिया और उसे रायपुर लाया, जहां प्रवर्तन निदेशालय ने 06.03.2022 को दोपहर में उसे रिमांड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।"

(बल दिया गया)

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध जारी लुक आउट सर्कुलर (संक्षेप में, 'एल.ओ.सी.') के अनुसार, उसे 5 मार्च, 2022 को आई. जी. आई. हवाई अड्डे पर 11:00 बजे से निरुद्ध किया गया था। परन्तु उसे अपीलार्थी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 6 मार्च, 2022 को 01:15 बजे गिरफ्तार किया जाना दर्शाया गया और 6 मार्च, 2022 को 1 : 15 बजे से 24 घंटे के भीतर विद्वान दण्डाधिकारी के न्यायालय में उसे प्रस्तुत किया गया।

6. इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्वीकृत रूप से, एल.ओ.सी. अपीलार्थी-प्रवर्तन निदेशालय के कहने पर जारी किया गया था। एल. ओ. सी. को निष्पादित करके, आप्रवासन ब्यूरो ने अपीलार्थी की ओर से उत्तरवादी को 4 मार्च 2022 से आई. जी. आई. हवाई अड्डे पर निरुद्ध किया। कण्डिका 10 में अभिलिखित तथ्य का निष्कर्ष यह है कि निर्विवाद रूप से, उत्तरवादी की शारीरिक अभिरक्षा अपीलार्थी द्वारा 5 मार्च, 2022 को 11.00 बजे आप्रवासन ब्यूरो से ले ली गई थी। इसके बाद, 6 मार्च 2022 को दोपहर 1:15 बजे, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रायपुर में एक गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया। उसे 6 मार्च, 2024 को दोपहर 3 बजे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तारी आदेश (अनुलग्नक P-1) के परिशीलन से पता चलता है कि टंकित किया गया आदेश तैयार रखा गया था। गिरफ्तारी के दिनांक और समय को खाली रखा गया था जो हाथ से भरा हुआ प्रतीत होता है। स्वीकृत रूप से, प्रत्यर्थी को 5 मार्च,

2022 की सुबह 11:00 बजे से 24 घंटे के भीतर निकटतम विद्वान दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 2 के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उत्तरवादी की गिरफ्तारी पूर्णतः अवैध हो जाती है। इस प्रकार, उत्तरवादी को 24 घंटे के निर्धारित समय के भीतर निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए बिना अभिरक्षा में रखे रहना पूर्णतः अवैध है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 2 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अतः अभिरक्षा में 24 घंटे पूरे होने पर उसकी गिरफ्तारी दूषित हो जाती है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 22 (2) का उल्लंघन किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन किया गया है।

7. अनुच्छेद 22 के खंड 2 की आवश्यकता को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 57 (संक्षेप में 'द.प्र.सं.')

में सम्मिलित किया गया है। पी.एम.एल.ए. के उपबंधों और 'द.प्र.सं.' की धारा 57 के मध्य कोई विसंगति नहीं है। इसलिए, पी.एम.एल.ए. की धारा 65 के आधार पर, 'द.प्र.सं.' की धारा 57 पी.एम.एल.ए. के तहत कार्यवाही पर लागू होती है।

8. एक बार जब कोई न्यायालय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पाता है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करते समय या उसे गिरफ्तार करने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए। इसका कारण यह है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी दूषित हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को बनाए रखना प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है।

9. अंतः जब गिरफ्तारी अवैध होती है या दूषित होती है, तो पी.एम.एल.ए. की धारा 45 की उप-धारा 1 के खंड (ii) के तहत दोहरे परीक्षणों को पूरा न करने के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है।

10. इसलिए, हम आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं, और तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निराकृत होता है।

प्रकरण का परिणाम : अपील खारिज।

शीर्ष टिप्पण दिव्या पांडे द्वारा तैयार किया गया।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।